पीठासीन अधिकारी
वाद संख्या
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

64 / 2016

[illegible]दत्त पुत्र श्री गोरीदत्त उपाध्याय जाति ब्राहम्ण निवासी मकरेडा तहसील पीसांगन हाल निवास दाता नगर , जटिया हिल्स अजमेर

...वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर
2. अजमेर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव अजमेर

...... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, एंव 92(ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अजीतसिंह राठौड – वादी
श्री किशनाराम चौधरी – राजकीय पेरोकार

–: निर्णय :– दिनांक 27.02.2020

संक्षिप्त में वाद में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अभिभाषक के यह वादपत्र दिनांक 21.09.2016 को अन्तर्गत धारा 88,188 एंव 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिवादीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम मकरेडा तहसील पीसागंन में साबिक खसरा संख्या 19 रकबा 70–15–00 बीघा में से 15–00–00 बीघा भूमि दिनांक 01.07.1964 को आवटंन की जाकर कब्जा व दखल प्रदान किया गया तब से श्रीमती सत्यवती काबिज चली आ रही थी जिनका दिनांक 19.01.2007 को स्वर्गवास होने के पश्चात वादीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । साबिक खसरा संख्या 19 के वर्किंग खसरा संख्या 46, 47, 44 मिन बने जिनके आधार भूत खसरा सख्ंया 87 रकबा 0.24 है. , 88 रकबा 0.25 है. , 105 रकबा 0.20 है. , 107 रकबा 0.20 है. , 87 रकबा 3.02 है. , 88 रकबा 2.00 है. , 105 रकबा 0.25 है. , 107 रकबा 3.00 है., 105 रकबा 3.00 है. बने। खसरा गिरदावरी सवंत 2021 से 2024 , 2025 लगायत 2028, खसरा परिवर्तनशील सवंत 2026, खसरा गिरदावरी सवंत 2034 लगायत 2037 ,2038 लगायत 2041 एंव खसरा परिवर्तनशील सवंत 2049 एवं सलंग्न लगान एवं जुर्माना रसीदात सन् 1976 लगायत 1991 से सिद्व है। आवटंन आदेश दिनांक 01.07.1964 की पालना में श्रीमती सत्यवती एवं वादीगण के नाम अधिकार अभिलेख में नियमानुसार राजस्व एजेन्सी द्वारा प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गयी । अतः वादपत्र स्वीकार फरमाकर विवादित आराजियात आधार खसरा संख्या 87, 88, 105 एंव 107 पर बनाये गये हैं में से 15–00–00 बीघा पर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:29:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। कालान्तर में अजमेर विकास प्राधिकरण को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया । सरकार पेरोकार द्वारा जवाब सरकार दिनांक 04.07.17 को पेश किया गया । दिनांक 09.07.2019 को ए.डी.ए. का जवाब एडवोकेट श्री रामकिशोर खदाव ने पेश किया । वादीगण के वादपत्र एंव प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर दिनांक 12.07.19 को तनकी कायम की गयी जो निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 – आया कि वादीगण के पूर्वज के हक में निष्पादित आवंटन दिनांक 1.7.1964 माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.6.1967 के अनुसार आज दिनांक तक बहाल है।

.... जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 2 – आया कि वादीगण के पूर्वज को हुए आवंटन आदेश की पालना में राजस्व एजेन्सी द्वारा इन्द्राज दर्ज नहीं करने के कारण वादीगण उद्घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। .... जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 3 – आया कि वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ...... जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 4 – आया कि आवटंन आदेश की पालना में वादीगण के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज दर्ज नहीं करने के कारण भूमि सिवायचक दर्ज रही जिससे वाद पत्र काबिल निरस्त योग्य है। ...... जिम्मे प्रतिवादी

वादी ने अपने वाद के समर्थन में दिनांक 31.07.2019 को वादी साक्ष्य एंव शपथ पत्र प्रदर्श लगाये । पी.डब्ल्यू.–1 महेन्द्र सिंह पुत्र प्रयागसिंह के बयान कलमबद्व करये एवं शपथपत्र पेश किया साथ ही प्रदर्श ई.एक्स.पी.–1 जमाबदीं सवंत 2017 से 2019 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–2 जमाबदीं सवंत 2020 से 2023 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–3 व 4 खसरा मिलान क्षैत्रफल चौसाला, प्रदर्श ई.एक्स.पी.– 5 खसरा मिलान सवंत 2061 से 2080 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.– 6 नक्शा सन् 1982 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.– 7 एंव 8 जमाबदीं संवत 2072 से 2075 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–09 राजस्व मंडल निर्णय 02.06.1967 अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–10 आवटंन आदेश पत्र , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–11 मृत्यु प्रमाण पत्र , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–12 नगर निगम अजमेर द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–13 खसरा गिरदावरी 2021 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–14 खसरा गिरदावरी 2025 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–15 खसरा परिवर्तनशील सवंत 2026 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–16 खसरा गिरदावरी सवंत 2034 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–17 खसरा गिरदावरी 2038 , प्रदर्श ई.एक्स.पी –18 खसरा परिवर्तन 2048 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–19(1) खसरा मिलान, प्रदर्श ई.एक्स.पी.–19(11) खसरा मिलान , प्रदर्श ई.एक्स.पी.–20 जमाबदी सवंत 2064, प्रदर्श ई.एक्स.पी.–21 से 26,

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:29:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

रसीद, प्रदर्श ई.एक्स.पी.–27 मुख्त्यारआम नामा तक दस्तावेज पेश किये । दिनांक 19.08.2019 को ए.डी.ए ने जिरह की । ए.डी.ए. ने साक्ष्य पेश नहीं की उनकी साक्ष्य बंद की। दिनांक 25.09.2019 को वादी साक्ष्य पर सरकार पेरोकार ने जिरह की। दिनांक 18.11.2019 को प्रतिवादी साक्ष्य ने शपथ पत्र पेश किये। दिनांक 22.01.2020 को प्रतिवादी साक्ष्य पर जिरह की। दिनांक 05.02.2020 को सरकार पेरोकार ने लिखित बहस पेश की। साथ ही वादीगण अधिवक्ता ने आर. आर. डी. 2011 पेज नम्बर 427 न्यायिक दृष्टांत पेश किया । प्रतिवादी संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किये प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार की तरफ से तहसीलदार पीसागंन ने लिखित बहस पेश की साथ ही डी. डब्ल्यु. 1 आफिस कानूनगो श्री मूलसिंह चारण एंव डी. डब्ल्यू. 2 हल्का पटवारी मकरेडा के बयान दर्ज कराये। मैंने उभयपक्षों की बहस सूनी उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुचां जो तनकीवार निम्न है :–

1. तनकी संख्या 1 – आया कि वादीगण के पूर्वज के हक में निष्पादित आवंटन दिनांक 1.7.1964 माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.6.1967 के अनुसार आज दिनांक तक बहाल है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने पूर्वज के हक में निष्पादित आवंटन आदेश दिनांक 01.07.1964 जो ई.एक्स.पी.–10 है जो माननीय राजस्व मडंल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.1967 प्रदर्श ई.एक्स.पी.–9 बहाल रहने के संबंध में कथन किया है लेकिन जो आवंटन 01.07.1964 को वादी के पूर्वजों का होना बताया है वो ही प्रचलित नियमों के अनुरूप नहीं होने के कारण तथा प्रार्थी के पूर्वज भूमिहीन श्रमिक नहीं होने के कारण उनको एक नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने आवटंन निरस्त करने की अनुशंषा की जो राजस्व मंडल के निर्णय प्रदर्श ई.एक्स.पी.– 9 के पेज संख्या 02 की द्वितिय पंक्ति से स्पष्ट है :–

though the applicants were not covered within the definition of landless labourers. A notice was issued to show couse why the land allotted may not be resumed (as the allotment in that case has not been/according to the rules) by the sub divisional officer, who after hearing the parties reported the collector that the land should be resumed.

जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी की अनुशंषा पर आवंटन नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने की अनुशंषा राज्य सरकार को कर दी साथ ही उपखण्ड अधिकारी अजमेर को निर्देशित किया कि बरसात का मौसम

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:29:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

नजदीक आ रहा है अतः राज्य सरकार की पूर्वानुमति मानते हुए आवंटी से भूमि वापिस ले ली जाये । जो पेज संख्या 02 ई.एक्स.पी.– 9 से स्पष्ट है:–

the sub divisional officer may be directed to resume the land in anticipation of sanction of the state government .

जिला कलक्टर के निर्णय को माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर ई.एक्स. पी.– 9 द्वारा आशिंक रूप से quashed किया जो अंतिम पैरा से स्पष्ट है ।

the order of the collector, therefore , relating to resumption in anticipation of government sanction being without jurisdiction is quashed.

इस प्रकार माननीय न्यायालय राजस्व मंडल के निर्णय प्रदर्श ई.एक्स.पी.– 9 से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने जिला कलक्टर के खातेदारी निरस्ती की अनुशंषा को quashed नहीं करके उपखण्ड अधिकारी को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति (anticipation) मानते हुए भूमि का कब्जा वापिस लेने के उपखण्ड अधिकारी को दिये गये निर्देशों तक निर्णय को quashed किया है साथ ही अपीलाण्ट को किसी प्रकार का आवंटन बहाल करने संबंधी कोई निर्णय नहीं दिया है । अर्थात माननीय न्यायालय राजस्व मडंल के निर्णय से स्पष्ट है कि न्यायालय ने आंवटी के आवंटन के सबंध में जिला कलक्टर का निर्णय खारिज नहीं करके केवल राज्य सरकार की पूर्वानुमति (anticipation) मानते हुए उपखण्ड अधिकारी अजमेर को दिये निर्देश ही खारिज किय है।

इस प्रकार तनकी संख्या 1 विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

2. तनकी संख्या – 2 आया कि वादीगण के पूर्वज को हुए आवंटन आदेश की पालना में राजस्व एजेन्सी द्वारा इन्द्राज दर्ज नहीं करने के कारण वादीगण उद्घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

तनकी संख्या 2 साबित करने का भार वादी पर था । जब तनकी संख्या 1 की विवेचना में ही स्पष्ट हो चुका है कि वादी का आवंटन प्रचलित नियमों में नहीं होने के कारण जिला कलक्टर ने राज्य सरकार को आवंटन निरस्त की अनुशंषा करी थी जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ने ई.एक्स.पी.– 9 के अनुसार खारिज नहीं किया था इस कारण वादी किसी प्रकार की उद्घोषणा खातेदारी का अधिकारी नहीं है अतः तनकी संख्या 2 [illegible] वादी तय की जाती है ।

3. तनकी संख्या 3 – आया [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:29:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

इसको सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध तय होने के कारण तनकी संख्या 3 भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

4. तनकी संख्या 4 आया कि आवंटन आदेश की पालना में वादीगण के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज दर्ज नहीं करने के कारण भूमि सिवायचक दर्ज रही जिससे वाद पत्र काबिल निरस्त योग्य है।

यह तनकी प्रतिवादी के जिम्मे था। प्रतिवादी ने अपने लिखित बहस एंव दस्तावेजों से यह साबित किया है कि भूमि शुरू से ही सिवायचक रही है वादी का कभी नामान्तकरण नहीं खुला तथा वादी केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अतः तनकी संख्या 4 हक प्रतिवादी एंव विरूद्ध वादी तय की जाती है। इस प्रकार वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। दोनों पक्षकार अपना अपना खर्चा वहन करें। इसी आशय की डिक्री पारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:29:50 IST
Reason: SelfAttested